

कार्यालय ग्राम पंचायत-.....मेवादा दुर्गविपय राय

विकास खण्ड जखनिया

जनपद-.....गाजीपुर

पता

दिनांक 27/05/23

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

सन्देश

अवगत कराना है कि दिनांक 27/05/23 को प्रातः 10:00 बज से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक/जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका, कोटदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिचार के मुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
जखनिया, गाजीपुर

ग्राम मुख्यालय.....
ग्राम पंचायत-मेवादा दुर्गविपय राय
जखनिया, गाजीपुर

ग्राम प्रधान


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)


सहायक विकास अधिकारी (पं०)
जखनिया, गाजीपुर।



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 27/05/23
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 15/07/23
 डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: _____

2. ग्राम का नाम: शिवदा दुर्गाविजयपुर
 ग्राम पंचायत का नाम: शिवदा दुर्गाविजयपुर
 ब्लॉक का नाम: अमरनाथ
 जिला का नाम: गान्धीपुर
 राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश
 ग्राम जनगणना कोड: _____

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंड़े को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2023 तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 12% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत एवं जल एवं स्वच्छता समिति
 समिति को क्या कहा जाता है: _____
 अध्यक्ष का नाम: अमरनाथ
 लिंग: पुरुष
 आयु: _____



(Handwritten signature)
ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत.....

ग्राम प्रधान.....
 ग्राम पंचायत.....
 ग्राम पंचायत.....

M.P. Singh
 (Director)
 Bushma Foundation
 Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

2011 की जनसंख्या के अनुसार	1125.8	जनसंख्या घनत्व/वर्ग किलोमीटर	121
महिलाएँ	163	भूमि का क्षेत्रफल	15.7
पुरुष	454	जमीनी क्षेत्र	8.5
शहरी क्षेत्र	293	जमीनी क्षेत्र	6.0
ग्रामीण क्षेत्र	182	जमीनी क्षेत्र	2.3
ग्रामीण क्षेत्र	234	जमीनी क्षेत्र	2.3

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 14.1 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 7.3 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 500

9. कृषि फसल पैटर्न:

प्रमुख फसल	उत्पाद	टी
धान		
ज्वार		
मूंग		
मक्का		
गन्ना		
सब्जियाँ		
फल		
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 167 से 180 मि.मी.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ

('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ

('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	क्या वर्तमान उपयोग उपलब्ध है?	संरक्षित क्षेत्र का वर्णन
1.
2.	अग्निवाड़ी	1	हाँ	...
3.
4.	ग्राम पंचायत भवन	1	हाँ	...

स्रोत स्थापित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) हाँ

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्यालय/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: पेखरा, तालाब, कुँआ

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): _____ के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 50

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 20

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 18

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: आधी चरी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के नौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- वाटर डिस्ट्रिब्यूशन जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

_____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	आवृत्ति/समय	आवृत्ति/समय	संभावित गतिविधियाँ/निधि	प्रस्तावित स्थिति
स्वच्छ भारत मिशन (सब-कॉम्प्लेक्स)	प्रत्येक वर्ष/स्वच्छता विभाग	जल अंकित मंत्रालय	गैलरी/मनोरंजन/सोखना जल (व्यक्तिगत/सामुदायिक)	अपशिष्ट तलछट/तालाब/आदि
ग्रामीण सौर ऊर्जा	ग्रामीण सौर ऊर्जा	ग्रामीण सौर ऊर्जा	ग्रामीण सौर ऊर्जा	ग्रामीण सौर ऊर्जा



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एनवीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: अमरनाथ

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर : _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

- | | | | | | |
|----|--------------|-------------|------|--------|------------|
| 1. | रेखा कुमारी | जिहू राम | चमार | जलसंजी | 8726213911 |
| 2. | जामता | प्रमोद | चमार | जलसंजी | 8726463805 |
| 3. | शकुन्तला | लक्ष्मण राम | " | " | 9305480925 |
| 4. | सुनिता यादव | आजाद यादव | अधीर | " | 9670892642 |
| 5. | धुनम जौरी | उदाव जौरी | जौरी | " | 9919304140 |
| | सिम्रता देवी | वृजेश | चमार | " | 917058234 |

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: _____


ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत.....
 वि०ख०-जखनियौ, गाजीपुर

ग्राम प्रधान...
 ग्राम पंचायत-जखनियौ, गाजीपुर
 वि०ख०-जखनियौ
 पंचायत-गाजीपुर


M.P. Singh
 (Director)
 Sushma Foundation
 Varanasi(U.P.)